R-14902
7/7/1
17/9/04

R-10564

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O.-550
KM-30
Dept-300
CPB-220

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2004/आषाढ़ 21, 1926
No. 293] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2004/ASADHA 21, 1926

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2004

सा.का.नि. 448(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची I में,

(क) डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के लिए शोर सीमा से संबंधित क्रम संख्यांक 94 में,—

(i) पैरा I में, दोनों स्थानों पर '1 जुलाई, 2004' शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, क्रमशः '1 जुलाई, 2005' शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) पैरा 3, उप पैरा 3.1 और पैरा 3.2 में, '1 जुलाई, 2004' शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, क्रमशः '1 जुलाई, 2005' शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(ख) जेनरेटर सेटों (जैनसेट्स) को चलाने के लिए नए डीजल इंजनों (800 किलोवाट तक) के लिए उत्सर्जन सीमा से संबंधित क्रम सं. 95 में :—

पैरा 1 में सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

डीजल इंजनों की क्षमता	कार्यान्वयन की तारीख	उत्सर्जन सीमा (ग्रा/कि. वा. प्रतिघंटा)				धुंआ सीमा (प्रकाश अवशोषण सहदक्षता मी[1]) (पूर्ण लोड पर)	परीक्षण चक्र	
		एनओ एक्स के लिए	एचसी के लिए	सीओ के लिए	पीएम के लिए		टार्क %	भार तोलन कारक
19 कि.वा.तक	1-7-2005	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	100	0.05
							75	0.25
>19 कि.वा. से	1-1-2004	9.2	1.3	5.0	0.5	0.7	50	0.30
176 कि.वा. तक	1-7-2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	25	0.30
> 176 कि.वा. से 800 कि.वा. तक	1-11-2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	10	0.10

स्पष्टीकरण :— यह सीमा केवल ऐसे प्रदाओं को ही लागू होगी;

(1) जिन्होंने इस रेंज में अपने इंजन मॉडलों में से कम-से-कम एक के लिए किस्म अनुमोदन सर्टीफिकेट 30 जून, 2004 तक अभिप्राप्त कर लिया है।

(2) जिन्होंने बैंक गारंटी प्रस्तुत की है और उत्सर्जन सीमाओं का अनुपालन करने के लिए जैनसेट डीजल इंजनों के विकास के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा किए जा रहे अध्ययन मदे अभिदाय भी किया है।

[फा. सं. क्यू-15022/2/2001-सी पी ए]

सुधीर मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में का. आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें का.आ. 433 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64 (अ), तारीख 18 जनवरी, 1988, का.आ. 3 (अ), तारीख 3 जनवरी, 1989, का.आ. 190 (अ), तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913 (अ), तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का.आ. 12 (अ), तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 30 अगस्त, 1990, का.आ. 23 (अ), तारीख 16 जवनरी, 1991, सा.का.नि. 93 (अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि. 95 (अ), तारीख 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329 (अ), तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 475 (अ), तारीख 5 मई, 1992, सा.का.नि. 797 (अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1992, सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422 (अ), तारीख 19 मई, 1993, सा.का.नि. 801 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631 (अ), तारीख 31 अक्तूबर, 1997, सा.का.नि. 504 (अ), तारीख 20 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 7 (अ), तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682 (अ), तारीख 6 अक्तूबर 1999, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371 (अ), तारीख 17 मई, 2002, सा.का.नि. 489 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2002, का.आ. 1088 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2002, सा.का.नि. 849 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 520 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2003 और सा.का.नि. 92 (अ),तारीख 29 जनवरी, 2004 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2004

G.S.R. 448 (E).— In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I,—

(a) in serial number 94 relating to NOISE LIMIT FOR GENERATOR SETS RUN WITH DIESEL,—

(i) in paragraph 1, for the words, letters and figures "the 1st July, 2004", at both the places, the words, letters and figures "the 1st January, 2005" shall respectively be substituted;

(ii) in paragraph 3 and sub-paras 3.1 and 3.2, for the words, letters and figures "the 1st July, 2004", the words, letters and figures, "the 1st January, 2005", shall respectively be substituted.

(b) in serial number 95 relating to EMISSION LIMITS FOR NEW DIESEL ENGINES (UPTO 800 KW) FOR GENERATOR SETS (GENSETS) APPLICATIONS,

In paragraph 1, for the table, the following shall be substituted, namely :—

Table

Capacity of diesel engines	Date of implementation	Emission Limits (g/kw-hr) for				Smoke Limit (light absorption coefficient m^{-1}) (at full load)	Test Cycle	
1	2	3				4	5	
		NOx	HC	CO	PM		Torque %	Weighting factors
Upto 19 kW	1-7-2005	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	100	0.05
							75	0.25
>19 kW	1-1-2004	9.2	1.3	5.0	0.5	0.7	50	0.30
upto 176 kW	1-7-2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	25	0.30
>176 kW upto 800 kW	1-11-2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	10	0.10

Explanation : This extension shall be applicable only to those suppliers :

(I) who have obtained Type Approval Certificate for atleast one of their engine models in this range upto 30th June, 2004.

(II) who have submitted the bank guarantee and also contributed towards the study being carried out by the Indian Institute of Science, Bangalore, for development of genset diesel engines to comply with emission limits.

[F.No. Q-15022/2/2001-CPA]

SUDHIR MITAL, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E) dated 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433(E) dated 18th April, 1987, S.O. 64(E) dated 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913(E) dated 24th October, 1989, S.O. 12(E) dated 8th January, 1990, G.S.R. 742(E) dated 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated 21st February, 1991, G.S.R. 95(E) dated 12th February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E) dated 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated 31st December, 1993, G.S.R., 176(E) dated 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E) dated 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated 20th August, 1998, G.S.R. 7(E) dated 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E) dated 6th October, 1999, G.S.R. 742(E) dated 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated 6th February, 2001, G.S.R. 54(E) dated 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E) dated 17th May, 2002, G.S.R. 489(E) dated 9th July, 2002, S.O. 1088(E) dated 11th October, 2002, G.S.R. 849(E) dated 30th December, 2002, G.S.R. 520(E) dated 1st July, 2003 and G.S.R. 92(E) dated 29th January, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.